

न्यायालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
मुन्तकिली प्रकरण संख्या 74/2022 (GCMS : 2022/112)

1. हरिओम पुत्र माहीराम जाति बावरी निवासी वार्ड नं. 6, बाबा हरिओम मन्दिर के पीछे, केसरीसिंहपुर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. वीना देवी पत्नी अमृतपाल पुत्री माहीराम जाति बावरी निवासी वार्ड नं. 6 बाबा हरिओम मन्दिर के पीछे, केसरीसिंहपुर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर
3. सुखदेवी पत्नी माहीराम जाति बावरी निवासी वार्ड नं. 6, बाबा हरिओम मन्दिर के पीछे केसरीसिंहपुर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर
4. रविदास पुत्र माहीराम जाति बावरी निवासी वार्ड नं. 6, बाबा हरिओम मन्दिर के पीछे केसरीसिंहपुर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. माहीराम पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी वार्ड नं. 6, बाबा हरिओम मन्दिर के पीछे केसरीसिंहपुर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. अमर देवी पत्नी जगदीश पुत्री माहीराम जाति बावरी निवासी वार्ड नं. 6, बाबा हरिओम मन्दिर के पीछे, केसरीसिंहपुर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर
3. बक्शो देवी पत्नी रमेश कुमार जाति बावरी निवासी 23 ओ पोस्ट ऑफिस 42 एच तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर
4. सुन्दरा पुत्री माहीराम जाति बावरी निवासी वार्ड नं. 6, बाबा हरिओम मन्दिर के पीछे केसरीसिंहपुर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर
5. भागवन्ती पुत्री माहीराम जाति बावरी निवासी वार्ड नं. 6, बाबा हरिओम मन्दिर के पीछे केसरीसिंहपुर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर
6. शारदा पत्नी लालचन्द पुत्री माहीराम जाति बावरी निवासी ठण्डी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर श्रीगंगानगर
8. उप पंजीयक एवं उप तहसीलदार राजस्व केसरीसिंहपुर श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
9. लेखराम पुत्र जयकरण जाति मेघवाल निवासी 4 वी तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर
10. कृष्ण लाल पुत्र लेखराम जाति मेघवाल निवासी 4 वी तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर



20.03.2024

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री टीटू मदान एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री जरनैल सिंह टुरना उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, करणपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 34/2021 व मिसल नम्बर 35/2021 अनवानी सुखदेवी बनाम महीराम आदि में प्रार्थी ने निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, करणपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है, इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है, इसलिए इस मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, करणपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण होने के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को खारिज किया जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, करणपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या प्रकरण संख्या 34/2021 व मिसल नम्बर 35/2021 अनवानी सुखदेवी बनाम महीराम आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, करणपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, करणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बन्धु)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर